

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि०न० - 97/2023

अनवान :-

1. गुड्डीदेवी पत्नी बलवानसिंह जाति जाट निवासी रावलदास हाल निवासी भोजासर तहसील भादरा।  
:- प्रार्थी

बनाम्

- 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरुस्ती  
अन्तर्गत धारा 136 लेण्डरैवेन्यु एक्ट  
उपरिस्थिति :- श्री विक्रम शर्मा प्रार्थी  
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक:

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 वारानी के खाता सं० 30/31 के मु० न० 46 के किला न० 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 कुल 5.060 हे० वारानी खातेदारी मय रास्ता खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीया गुड्डीदेवी पत्नी बलवानसिंह जाति जाट साकिन रावलदास खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया साकिन रावलदास के स्थान पर साकिन रावलदास हाल निवासी भोजासर तहसील भादरा दर्ज करवाना चाहती है।

प्रार्थीया के जिनके सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, बैंक पास बुक एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक निवास स्थान साकिन भोजासर तहसील भादरा दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थीया का साकिन राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि का सही प्रकार से उपयोग-उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में उक्त साकिन की शुद्धि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैराकार तहसीलदार भादरा ने अपना जवाब पेश किया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा चक 6 वारानी के खाता सं० 30/31 के मु० न० 46 के किला न० 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 कुल 5.060 हे० वारानी खातेदारी मय रास्ता खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीया गुड्डीदेवी पत्नी बलवानसिंह जाति जाट साकिन रावलदास खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थीया के सही निवास स्थान साकिन भोजासर तहसील भादरा के स्थान पर पर अशुद्ध साकिन रावलदास दर्ज है, अतः प्रार्थीया का साकिन रावलदास के स्थान पर प्रार्थीया का साकिन रावलदास हाल निवासी भोजासर तहसील भादरा दर्ज किया जावे ताकि प्रार्थीया अपनी वाद भूमि का सही उपयोग उपभोग कर सके।

Kalpit  
मैजिस्ट्रेट (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात तथा तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के गुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 6 बरानी के खाता सं० 30/31 के मु० न० 46 के किला न० 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 कुल 5.060 है० बरानी खातेदारी मय रास्ता खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीया गुड्डीदेवी पत्नी बलवानसिंह जाति जाट साकिन रावलवास खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज। उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का गुड्डीदेवी पत्नी बलवानसिंह जाति जाट साकिन रावलवास की जगह गुड्डीदेवी पत्नी बलवानसिंह जाति जाट साकिन रावलवास हाल निवारी भोजासर तहसील भादरा दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि गुड्डीदेवी पत्नी बलवानसिंह जाति जाट साकिन रावलवास के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम गुड्डीदेवी पत्नी बलवानसिंह जाति जाट साकिन रावलवास ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 07/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कलियन्त शिवरान)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) B.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़